श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना।

वक्तव्य की तिथि –31.07.2024

राजस्व विभाग का संकल्प संख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 द्वारा शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को 10 डिसमिल तक सरकारी भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। विभागीय 4064/रा0, दिनांक–25.10.2019 के द्वारा लीज बन्दोबस्ती की शक्ति उपायुक्त को प्रत्योजित की गई है। जमशेदपुर में टाटा लीज के भीतर बसे हुए बस्तियों, टाटा लीज से बाहर की गई बस्तियों एवं अन्य सरकारी बस्तियों के निवासियों ने सरकार के इस नीतिगत निर्णय के प्रति रूचि प्रदर्शित नहीं किया है। जमशेदपुर में अब तक कुल तीन आवेदन लीज लेने हेतु आये है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–208/एस0, दिनांक–18.08.2009 द्वारा राजस्व विभाग को प्रेषित सवेक्षण के अनुसार 723 हेक्टेयर भूमि पर कुल 14,167 परिवार आवासित है। इसके अतिरिक्त अनेक बस्तियों के बाशिन्दों ने भी सरकार की इस लीज नीति का लाभ नहीं लिया है। इनके घरों को होल्डिंग नम्बर भी नहीं मिला है। जबकि मानगो, पूर्वी सिंहभूम के इसी श्रेणी के घरों को होल्डिंग नम्बर दिया गया है। होल्डिंग नम्बर नहीं मिलने और वर्षों से आवासित परिवारों को अपने घरों का मालिकाना हक नहीं मिलने से सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है और आवासित भी आवश्यक कार्यवश अपने भवन की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं।

मैं सदन के माध्यम से इस गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि सरकार राजस्व विभाग की संकल्प संख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 को विलोपित करे और इसके स्थान पर आवासितों से उनके घरों को, भूमि का वाजिब मूल्य लेकर, उनके पक्ष में बन्दोबस्त करे, ताकि सरकार को अरबों रूपये का राजस्व मिल सके और लम्बे समय से आवासितों को अपने घरों का मलिकाना हक मिल सके।

सरकारी वक्तव्य

विभागीय संकल्प सख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 द्वारा गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/खासमहाल भूमि पर दिनांक–01.01.1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ अधिकतम 10 डिसमील तक आवासीय उद्देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु नीति निर्धारित है। विभागीय संकल्प संख्या–4064/रा0, दिनांक–25.10.2019 द्वारा गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/खासमहाल भूमि पर दिनांक–01.01.1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है।

वर्तमान में सरकार स्तर पर विभागीय संकल्प सख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 को रद्द करने का निर्णय विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची

ज्ञापांकः–4/वि0स0 (पूर्वी सिंहभूम)–72/2024..2429../रा0, दिनांक– 30/7/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 के ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में सरकारी वक्तव्य की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची (संसदीय कार्य)/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव, एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/24
सरकार के उप सचिव